समक्ष :- माननीय राजस्व मंण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल ।

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/2611

पुनरीक्षण क्रमांक :- । पी० बी० आर०।२०१७

प्रस्तुत दिनांक :- 14।८।२०१७

आवेदकगंण :- अजबेर आत्मज नन्हें मेहरा, निवासी खेरी रंधीर, तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद ।म० प्र० ।

।। बनाम ।।

अनावेदकगंण :- ।१। जिजनबाई पुत्री नन्हें मेहरा पत्नी छिदामीलाल मेहरा, निवासी नयागांव, तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद ।

श्री आशीष कुमार, आ... द्वारा आज दि. 14.8.17 को 14.8.17

।२। कन्हैंयी आत्मज हाकम मेहरा,

।३। आरतीबाई पुत्री हाकम, ना० बा० बल्द वो बली हाकम, मेहरा, निवासी- दोनों निवासी खेरी रंधीर, तहसील बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद ।म० प्र०।

।४। राम्बलाल आत्मज नन्हें मेहरा, । गूंगा- बहरा- एवं विकृतचित्त । निवासी खेरी रंधीर, तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद।

।५। कुन्जीलाल आत्मज हाकम, मेहरा, निवासी खेरी रंधीर, तहसील- बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद ।म० प्र०।

।। राजस्व निगरानी याचिका । पुनरीक्षण याचिका धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १९५९ यथा संशोधित ।।

।। उत्पन्न ।।

न्यायालय :- तहसीलदार बनखेड़ी जिला- होशंगाबाद ।म० प्र०।

राजस्व प्रकरण क्रमांक :- ८७-अ।२७ वर्ष २०१५-२०१६ मौजा खेरी रंधीर ।

पक्षकारान :- जिजनबाई बनाम राम्बलाल वगैरह

आदेश अन्तरिम दिनांक :- १८-७-२०१७ । आपत्ति अमान्य की गई है ।

समय सीमा :- आदेश दिनांक १८-७-२०१७ का है जो कि अन्तरिम आदेश है । नकल हेतु आवेदन पत्र १२५१।२०१७ दिनांक१९-७-२०१७ को पेश किया गया- नकल दिनांक २०-७-२०१७ को प्राप्त हुई ।अत: पुनरीक्षण याचिका आज दिनांक को पेश की जा रही है- जो कि ६० दिवस के अन्दर है । इस तरह से याचिका समयावधि में है ।

---पेज दो ---

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/17/2611 [अजबेर/जिजनवाई]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 87/अ-27/2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दि. 18-7-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप से यह कहा गया कि संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत बनाई गई अनुसूची क्रमांक 1 के नियम 63 के अनुसार अव्यस्क द्वारा प्रत्येक आवेदन अव्यस्क संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा अव्यस्क के नाम से दिया जायेगा । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण नहीं करके विधि की भूल की है । यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश मात्र कल्पनाओं और सम्भावनाओं पर आधारित है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदक क्रमांक 2 व 5 के अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति अमान्य करने के कोई कारण नहीं बताये हैं । यह न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह गूंगे-बहरे व्यक्ति के लिये न्यायमित्र नियुक्त करें तथा आवेदक की यह आपत्तिभी सही है कि बैंक में बंधक रखी संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जायेगा ? आवेदक की आपत्ति मान्य किये जाने योग्य है । अत: तहसील न्यायालय द्वारापारित अंतरिम आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बनखेड़ी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 18-7-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है । अध्यक्ष	